कार्यालय जिला परिषद, पलामू।

आम सूचना

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या– 3428 दिनांक 10.10.2017 के माध्यम से झारखण्ड राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार के लिए झारखण्ड बिल्डिंग बायलॉज– 2016 को अंगीकृत किया गया है। तदनुसार दिनांक 10.10.2017 के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण किए जाने वाले भवनों का जिला परिषद, पलामू स्तर से **URL-103.13.97.2 or BPAMS** वेबासाई से नियमानुसार ऑनलाईन नक्शा पारित कराने के उपरांत ही निर्माण कार्य कराना है।

अतः उक्त के आलोक में सर्व साधारण को सूचित किया जाता कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण होने वाले भवनों का जिला परिषद कार्यालय, पलामू से नियमानुसार ऑनलाईन नक्शा पारित कराना सुनिश्चित करें।

ह0/–

उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, पलामू।

ज्ञापांक 554 / दिनांक 31.8.19

प्रतिलिपि :- जिला परिषद कार्यालय, पलामू के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं प्रखण्ड कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही निदेश है कि इसकी सूचना सभी ग्राम पंचायत सचिव एवं मुखिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सभी अंचलाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त सूचना को अंचल कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं पलामू जिले के स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में लगातार दो दिनों तक प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं पलामू के Website- www.palamu.nic.in पर Upload करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, जिला परिषद, पलामू को सादर सूचनार्थ।

30.8.19

उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, पलामू।